


पत्रावली उत्तुत / वकील पत्रकाराव उत्तुत / पत्रावली उत्तुत
आदेश दि 16/10/25 को पेशा है।

1/25

पत्रावली उत्तुत / वकील पत्रकाराव उत्तुत / पत्रावली उत्तुत
~~पत्रावली उत्तुत~~ अर्थात् निम्न धारा की ध्वजा किताबों
को किताब भूल वाद अज्ञातगण को पाठ्य किताबों
विस्तृत निर्णय अर्थात् शिरामा जाकट शाह पत्रावली
किताबों। पत्रावली नम्बर 1 का होकर वाद
दस्तावेज है।


उपरोक्त अज्ञातगण
को किताब

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरु (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री अमीलाल यादव R.A.S.

दिनांक/2025/

दिनांक :- 16/10/2025

श्रीमती रूकमणी

बनाम

भंवरदास आदि

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी. सी.

- 1 रूकमणी देवी पत्नि स्व. गंगाराम जाति सिद्ध हुडा निवासीनी ग्राम उन्टालड तहसील बीदासर जिला चूरु राज. हाल आबाद एफ.सी.आई. गोदाम के पीछे, ग्रह विज्ञान के पास, सुभाषपुरा बीकानेर

प्रार्थीया

बनाम

- 1 भंवरदास पुत्र स्व. परतुदास जाति स्वामी निवासी ग्राम उन्टालड तहसील बीदासर जिला चूरु राजस्थान
- 2 सीता पत्नी बाबुदास जाति स्वामी निवासी उन्टालड तहसील बीदासर जिला चूरु राज.
- 3 राधाकिषन पुत्र बाबुदास जाति स्वामी निवासी उन्टालड तह. बीदासर जिला चूरु राज.
- 4 आनन्द पुत्र बाबुदास जाति स्वामी निवासी उन्टालड तहसील बीदासर जिला चूरु राज
- 5 रामनिवास पुत्र बाबुदास जाति स्वामी निवासी उन्टालड तहसील बीदासर जिला चूरु राज
- 6 भंवरनाथ पुत्र दूलनाथ जाति सिद्ध निवासी उन्टालड तहसील बीदासर जिला चूरु
- 7 छगनलाल पुत्र गोपीराम जाति जाट पिलाणीया निवासी ग्राम ईयारां तहसील बीदासर चूरु
- 8 जगदीश प्रसाद पुत्र गोपीराम जाति जाट पिलाणीया निवासी ईयारां तहसील बीदासर चूरु
- 9 बजरंगलाल पुत्र गोपीराम जाति जाट पिलाणीया निवासी ईयारां तहसील बीदासर चूरु
- 10 रामचन्द्र पुत्र गोपीराम जाति जाट पिलाणीया निवासी ग्राम ईयारां तहसील बीदासर चूरु
- 11 षाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा षाखा ईयारां तह. बीदासर जिला चूरु
- 12 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरु
- 13 नायब तहसीलदार कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु
- 14 उप पंजीयक महो. उप पंजीयक कार्यालय कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु

अप्रार्थीगण

इस आदेश द्वारा प्रार्थीया रूकमणी देवी पत्नि स्व. गंगाराम जाति सिद्ध निवासी उन्टालड तहसील बीदासर जिला चूरु राज. हाल आबाद एफ.सी.आई. गोदाम के पीछे, ग्रह विज्ञान के पास, सुभाषपुरा बीकानेर की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी. सी. व प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सी.पी. सी. का निस्तारण किया जा रहा है। संक्षेप में हस्तगत प्रकरण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्य इस प्रकार है :-

- 1 कि रोही ग्राम उन्टालड तहसील बीदासर में खेत खसरा नम्बर 575/45 रकबा 12.6970 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 20 बीघा खरीद के वक्त से खसरे में आधुणी पाखी का कटानी मार्ग हाल ग्रैवल सडक पर खरीद के वक्त कब्जा प्राप्ती के दिन से कब्जा काश्त एवं खातेदारी अधिकार में चला आ रहा है।
- 2 कि वादगत खसरा के पूर्व के मूल खसरा नम्बर 45 रकबा 80-04 बीघा रहे है, मुताबिक राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2055-2058 खाता नम्बर 62 खेत खसरा नम्बर 6 रकबा 2-10 बीघा, खसरा नम्बर 45 रकबा 80-04 बीघा, खसरा नम्बर 350 रकबा 14-02 बीघा, खसरा नम्बर 435 रकबा 11-05 बीघा, खसरा नम्बर 475 रकबा 7-13 बीघा, खसरा नम्बर 476 रकबा 21-13 बीघा, खसरा नम्बर 481 रकबा 21-07 बीघा कुल खसरे 7 कुल

लगातार 2 पर



उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरु)


रकबा 158-14 बीघा मु० दुर्गा देवी बेवा लिखमदास परतुदास सुवटी शान्ति पुत्र पुत्रिया लिखमदास हि. 4/5 चुनी बेवाह सुरजदास शंकरदास शिवदास श्रवणदास हजारीदास राजूदास भंवरी पुत्र पुत्रिया सुरजदास हि. 1/5 ब.हि.बराबर कौम स्वामी सा. देह खातेदार ई.न. 221 के खातेदारी दर्ज था।

- 3 यह कि मुताबिक राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2055-2058 खाता नम्बर 62 में 1/5 हिस्सा की खातेदारा दुर्गादेवी बेवाह लिखमदास ने सम्पूर्ण खाता भूमि रकबा 158-14 बीघा में अपने 1/5 हिस्सा जो 31 बीघा करीब 15 बिश्वा बनता था में से 20-00 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र सम्पादित पंजीकृत तारीख 12/02/1999 के द्वारा प्रतिफल रूपये 1,39,000/- मात्र प्राप्त कर सहहिस्सेदारान् के सहमति स्वरूप परतुदास, सुवटी, शान्ती पुत्र पुत्रियाँ लिखमदास व शंकरदास, शिवदास पि. सुरजदास भंवरी पुत्री सुरजदास व चुनी बेवाह सुरजदास स्वयं तथा प्राकृतिक संरक्षिका अपने अल्प व्यस्क पुत्र कमशः श्रवणदास, हजारीदास, राजूदास पुत्र सुरजदास के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करवा कर विक्रय पत्र में वर्णित आसे पासे की भूमि तांदादी 20 बीघा का कब्जा प्रार्थीया को सुपुर्द किया गया था तब से प्रार्थीया वादगत सम्पत्ति में अपने खरीद शुदा 20 बीघा हिस्सा भूमि पर काबिज काशत है। प्रार्थीया की अन्य सहखातेदारान् की सहमति से खातेदारा दुर्गादेवी बेवाह लिखमदास से खरीद शुदा भूमि के आसे पासे मुताबिक विक्रय पत्र एवं वर्तमान कब्जा काशत अनुसार निम्न प्रकार है :-
- उत्तर :- बाकी खसरा भूमि हाल काबिज हिस्सेदार भंवरनाथ पुत्र दूलनाथ सिद्ध
दक्षिण :- खसरा नम्बर 46 शोनड़ी ताल
पूर्व :- बाकी खसरा भूमि परतुदास हाल हकतर्कित हिस्सा भूमि भंवरदास आदि
पश्चिम :- रास्ता कटाणी हाल ग्रेवल सड़क उन्टालड से ईयारां को
- 4 यह कि वादगत खसरा भूमि में उपरोक्त आसे पासे की भूमि पर खरीद के वक्त से प्रार्थीया का कब्जा काशत बदस्तूर बिना किसी अवरोध के चला आ रहा है वादगत भूमि में अपनी खरीद शुदा भूमि को प्रार्थीया स्वयं काशत करती एवं करवाती है, प्रार्थीया ने अपनी खरीद शुदा भूमि के चारो तरफ पुख्ता पक्की सीव कायम कर रखी है, पट्टीया कालते रोप कर तारबन्दी की हुई है, करीब 24 वर्षों की पुरानी प्राकृतिक वृक्ष माठ की सीव कायम है पुख्ता रिहायसी ढाणी मकान बना हुआ है जिसमें काशत के वक्त प्रार्थीया निवास करती है।
- 5 यह कि अप्रार्थी सख्या 1 ता 5 पिछले करीब 4 महीनो से उपरोक्त वादगत खसरा नम्बर पर अपने खेत हिस्सा में अजनबि लोगों एवं उनके साथ भू माफिया लोगों को लेकर आते और वादगत खसरा भूमि में अपनी हिस्सा का मौका दिखाते और बेचने खरीदने की बातचीत करते। इसी दौरान अप्रार्थी स. 1 ता 5 ने माह मार्च लास्ट में वादगत भूमि में प्रार्थीया के कब्जा काशत की खरीद शुदा भूमि का मौका भी एक अजनबि व्यक्ति को दिखाया तो प्रार्थीनी ने अपने बैचाण के आधार पर राजस्व रेकार्ड ऑनलाईन मोबाइल पर दिखाया तो प्राथीनी को उनके नाम खातेदारी दर्ज नहीं होने की जानकारी हुई। वादगत खसरा में प्रार्थीया की खरीद शुदा भूमि पर खरीद के वक्त से कब्जा अधिकार चला आ रहा है।
- 6 यह कि अप्रार्थीगण की नियत/मन में द्वालय आ गया है तथा वादगत भूमि में प्रार्थीनी की खरीद शुदा भूमि प्रार्थीया के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं होने की जानकारी.होने पर अप्रार्थीगण प्रार्थीया की खरीद शुदा हिस्सा भूमि को हड़प करने की नियत रखते हैं इस कारण अप्रार्थी सख्या 1 ता 5 ने नामान्तरकरण सख्या 1589 दिनांक 21/12/2022 विरासत, नामा. स. 1603, 1604, 1613 रहनमुक्त के तथा नामा. स. 1614 दिनांक 8/02/2023 हकत्याग के आधार पर दर्ज करवाया कर वादगत खसरा भूमि में प्रार्थीया की खरीद शुदा भूमि सहित की खातेदारी अप्रार्थी स. 1 ता 5 ने अपने नाम दर्ज करवा ली है जो प्रार्थीया के विक्रय पत्र के मुकाबले एवं वर्तमान कब्जा काशत के मुकाबले अवैध एवं शून्य है जिसको आशिक निरस्त करवा कर प्रार्थीया अपने खातेदारी अधिकार दर्ज करवाने की कानूनी अधिकारीणी है।
- 7 यह कि अप्रार्थी 1 ता 5 ने प्रार्थीया के खिलाफ नाजायज गिरोह बना रखा है तथा अप्रार्थी स. 1 ता 5 आये दिन वादगत खसरा भूमि पर भिन्न भिन्न लोगों को लेकर आते हैं तथा मौका ग्रेवल मार्ग पर खड़े होकर अपनी हिस्सा भूमि के साथ साथ प्रार्थीया की खातेदारी अधिकारों की भूमि भी गलत दर्ज चली आ रही खातेदारी के आधार पर विक्रय हस्तान्तरण की कुचेष्टा में लगे हुए हैं जिसका प्रतिवादीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है यही वादाधार है।

लगतार.....3 पर

अपखण्ड अधिकारी

द्वारा (सु)




- 8 यह कि प्रार्थीया ने दिनांक 8/04/2023 को वादगत खसरा की भूमि में उसकी खरीद शुदा भूमि की खातेदारी दर्ज करवा कर पृथक करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी स. 1 ता 5 ने वादगत खसरा की खातेदारी में उनकी खरीद शुदा भूमि का खाता दर्ज करवाने एवं खातेदारी पृथक करवाने से साफ इन्कार कर दिया तथा प्रार्थीया को ऐलानिया धमकीया दी की शीर खाते की जमीन है तथा तुम्हारा नाम भी दर्ज नहीं है जहां आप वादीया ने विक्रय पत्र अनुसार कब्जा कायम करवा रखा है उसको बदलेगे, तुम्हारे कब्जा काशत की भूमि से तुम प्रार्थीया को बैदखल करेगे, सीवें काट देगे, तारबन्दी' तोड़ देगे कातले उखाड़ कर ले जायेगे, सारा खेत एक कर देगे आदि आदि ऐलालिया धमकीया दी तब, से प्रार्थीया को वाद हैतुक प्राप्त है।
- 9 यह कि अप्रार्थी स. 1 ता 5 ने प्रार्थीया को उपरोक्त विवादित खेत खसरा में विक्रय के उपरान्त प्रार्थीया की खातेदारी दर्ज नहीं होने के कारण अप्रार्थी सख्या 1 ता 5 के नाम गलत दर्ज चली आ रही गलत और निराधार खातेदारी की आड़ में प्रार्थीया को जबरन बैदखल करने की कुचेष्टा में है जिसके लिए अप्रार्थी सख्या 1 ता 5 ने प्रार्थीनी को दिनांक 08-04-2023 को ऐलानिया धमकी दी है कि खेत हिस्सा से बैदखल करेगे इस कारण प्रार्थीनी को वाद हैतुक प्राप्त है वादगत भूमि रोही उन्टालड़ तहसील बीदासर में स्थित हैं जिसके कारण उपरोक्त खसरा के सम्बन्ध में तमाम प्रकार के विवाद सुनने का श्रीमानजी के न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है किया कि अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि ताफैसला मूल वाद रोही ग्राम उन्टालड़ के खेत खसरा नम्बर 575/45 रकबा 12.6970 हैक्टेयर के मोकें एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे, प्रार्थीनी के कब्जा काशत में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करे, प्रार्थीनी को अपनी खरीद शुदा खातेदारी हिस्सा भूमि काशत करने से रोके नहीं तथा स्वयं काशत नहीं करे आदि आदि अनुतोष चाहा।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काशतकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी. सी. को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीया को एक पक्षीय सुना गया, अप्रार्थीगण को दिनांक 12.4.2023 को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि आगामी आदेश तक रोही ग्राम उन्टालड़ के खेत खसरा नम्बर 575/45 रकबा 12.6970 हैक्टेयर के मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 01 भंवरदास की और से श्री मनोज गोदारा एडवोकेट द्वारा दावा में वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती एवं हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सी. पी. सी. का जवाब प्रस्तुत किया गया। अन्य अप्रार्थीगण की विधिवत तलबी के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस प्रार्थीया एवं अप्रार्थी के अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत खसरा नम्बर एवं प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सी. पी. सी. के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पूर्व के मूल खसरा नम्बर 45 रकबा 80-04 बीघा रहे है, मुताबिक राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2055-2058 खाता नम्बर 62 खेत खसरा नम्बर 6 रकबा 2-10 बीघा, खसरा नम्बर 45 रकबा 80-04 बीघा, खसरा नम्बर 350 रकबा 14-02 बीघा, खसरा नम्बर 435 रकबा 11-05 बीघा, खसरा नम्बर 475 रकबा 7-13 बीघा, खसरा नम्बर 476 रकबा 21-13 बीघा, खसरा नम्बर 481 रकबा 21-07 बीघा कुल खसरे 7 कुल रकबा 158-14 बीघा के 1/5 हिस्सा की खातेदारा दुर्गादेवी विधवा पत्नि लिखमदास से उक्त सम्पूर्ण खाता भूमि रकबा 158-14 बीघा के अपने 1/5 हिस्सा जो 31 बीघा करीब 15 बिश्वा बनता था में से 20-00 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र सम्पादित पंजीकृत तारीख 12/02/1999 के आधार पर प्रार्थीया की खरीद शुदा है, दुर्गादेवी द्वारा अपने हिस्सा में से विक्रय की गई भूमि तादादी 20-00 बीघा जिसके आसे पासे विक्रय पत्र में अंकित है तथा प्रार्थीया उन्ही आसे पासे की भूमि पर काबिज काशत है। विक्रय की गई भूमि एवं उसके आसे पासे के सम्बन्ध में अन्य यह खातेदारान् के बतौर सहमति हस्ताक्षर है, सहमतिकर्तान में अप्रार्थी सख्या 01 भंवरदास के पिता परतुदास के भी बतौर सहमति हस्ताक्षर है। प्रार्थीया की खरीद शुदा 20-00 बीघा भूमि जो खरीद के वक्त से प्रार्थीया के कब्जा अधिकार में है वादगत खसरा भूमि में उपरोक्त आसे पासे की भूमि पर खरीद के वक्त से प्रार्थीया का कब्जा काशत बदस्तूर बिना किसी अवरोध के चला आ रहा है वादगत भूमि में अपनी खरीद शुदा भूमि को प्रार्थीया स्वयं काशत करती एवं करवाती है, प्रार्थीया ने अपनी खरीद शुदा

लगातार.....4 पर



बीदासर जयपुर


शुद्ध के चारों तरफ पुख्ता पक्की सीव कायम कर रखी है, पट्टीया कालते रोप कर तारबन्दी की हुई है, करीब 24 वर्षों की पुरानी प्राकृतिक वृक्ष माट की सीव कायम है पुख्ता रिहायसी ढाणी मकान बना हुआ है जिसमें काश्त के वक्त प्रार्थीया निवास करती है, तथा प्रार्थीया के कब्जा काश्त एवं प्रार्थीया के पक्ष में हुए विक्रय पत्र के सम्बन्ध में कभी किसी खातेदार काश्तकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई है एवं ना ही विक्रय पत्र निरस्त करवाने वास्ते कभी कोई दावा किया गया है आज दिन तक प्रार्थीया का कब्जा काश्त एवं विक्रय पत्र निर्विवाद है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि ताफैसला मूल वाद रोही ग्राम उन्टालड़ के खेत खसरा नम्बर 575/45 रकबा 12.6970 हैक्टेयर के मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे, प्रार्थीनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअन्दगी नहीं करे, प्रार्थीनी को अपनी खरीद शुदा खातेदारी हिस्सा भूमि काश्त करने से रोके नहीं तथा स्वयं काश्त नहीं करे। साथ ही प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सी. पी. सी. के तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि वादगत खसरा भूमि में प्रार्थीया की खरीद शुदा भूमि प्रार्थीया के कब्जा काश्त में है जिसमें मेरी पुख्ता पक्की बारहमासी ढाणी मकान बने हुए है, प्रार्थीया की खरीद शुदा भूमि के पुख्ता पक्की तारबन्दी की हुई है करीब 24 वर्षों की पुरानी प्राकृतिक वृक्ष माटों की सीव कायम है पुख्ता रिहायसी ढाणी मकान बना हुआ है जिसमें काश्त के वक्त प्रार्थीया निवास करती है। अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी भूमि होने की आड़ में विवादित खसरा भूमि की भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन करने पर आमादा है पत्रावली पर सही व सम्पूर्ण वादगत भूमि की वास्तविक स्थिति श्रीमानजी के समक्ष आने के लिए भूमि का मौका निरीक्षण करवा कर मौका रिपोर्ट मंगवाई जानी न्यायहित में आवश्यक है मौका निरीक्षक नियुक्त कर मौका करवाई जाये।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष की हकदार नहीं है, क्योंकि एक रेकॉर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता, प्रार्थीया के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को इसी स्टेज पर सव्य खारिज किया जावे, अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती हेतू तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष नहीं होने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी के जवाबी तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत भूमि आज दिनांक को प्रार्थीया के खातेदारी में नहीं है और ना ही प्रार्थीया के कब्जा काश्त में है वादगत भूमि पर मुझ अप्रार्थी सख्या 01 का कब्जा काश्त है प्रार्थीया साक्ष्य एकत्रित करने हेतू मौका कमिश्नर नियुक्त करवाना चाहती है सीपीसी के प्रावधानो के अनुसार साक्ष्य एकत्रित करने के लिए मौका कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सीपीसी इसी स्तर पर सव्य खारिज फरमाया जावे। बहस रिबिटल में अधिवक्ता प्रार्थीया ने अर्ज किया कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती हेतू तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में है, अप्रार्थी द्वारा संयुक्त खातेदारी भूमि होने के कारण प्रार्थीया की खरीद शुदा भूमि में कब्जा दखल करने, गलत दर्ज खातेदारी के आधार पर विक्रय हस्तान्तरण कर देने का भय प्रार्थीया को होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समस्त तथ्यों प्रार्थीया के पक्ष में है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाये।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती एवं प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. तथा जवाब प्रार्थना पत्रों, समपूर्ण पत्रावली तथा अधिवक्तागण की सुनी गई बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन, विवेचन एवं विश्लेषण किया। प्रार्थीया को अपने पक्ष में एवं अप्रार्थी सख्या 01 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती हेतू निम्नांकित तीन बिन्दु सिद्ध करने आवश्यक है :-

- 1 प्रथम दृष्टया मामला ।
- 2 सुविधा का संतुलन ।
- 3 अपूर्णनीय क्षति ।

उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संबध में वकील प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष की और से अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क किया गया कि प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला है। सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो अप्रार्थी वादगत भूमि विक्रय बन्धक हस्तान्तरण कर देगे, खुदबुर्द कर देगे, मौका की स्थिति में परिवर्तन परिर्धन कर देगे जिससे प्रार्थीया को नापुरा होने वाली असीम क्षति होगी जिसकी पूर्ती किसी भी सुरत में संभव नहीं हो सकेगी। इसलिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल दावा के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाये।



सगातार.....5 पर
 अधिवक्ता
 विवादाधीन

-: प्रथम दृष्टया मामला:-

अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये जाने हेतू जब उपरोक्त तीन बिन्दुओं की विरचना की जाती है उसमें यह बिन्दु अत्यन्त ही महत्वपूर्ण प्रकृति का बिन्दु होता है जिसे की तय करते समय न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर विचार किया जाना होता है कि वादगत सम्पत्ति पर कब्जा किस पक्ष का है और यह कब्जा शान्तिपूर्ण और निर्विरोध रूप से चला आ रहा है या नहीं। हस्तगत प्रकरण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्यों, जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से जाहिर स्थिति प्रकट होती है कि वादगत खसरा भूमि में प्रार्थीया की खरीद शुदा भूमि पर कब्जा काशत है प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णितानुसार प्रार्थीया का खरीद के वक्त से वादगत भूमि में खरीद शुदा भूमि पर कब्जा काशत है जिसकी पुख्ता पक्की रिहायसी ढाणी मकान बने हुए है अप्रार्थी के जवाब एवं बहस से प्रार्थीया का कब्जा काशत नहीं होना एवं विक्रय पत्र को किसी भी न्यायालय में निरस्त करने की कोई चाराजोही करने का कथन नहीं आया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में एवं अप्रार्थी के विरुद्ध साबित होना प्रतीत होता है।

-: सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति :-


सुविधा का संतुलन और अपूर्णनीय क्षति इन दोनों ही बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। सुविधा का संतुलन के संदर्भ में न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि किस पक्षकार को अधिक नुकसान या क्षति कारित हुई तथा अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु का निर्धारण करते हुए न्यायालय द्वारा यह देखा जाना है कि जो क्षति कारित हुई है, उसकी गंणना की जा सकती है या नहीं, और क्या उस क्षति की पूर्ती धन से की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में यदि अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो अप्रार्थी द्वारा वादगत भूमि विक्रय बन्धक हस्तान्तरण कर देने, खुदबुर्द कर देने, मौका की स्थिति में परिवर्तन परिवर्धन कर देने से प्रार्थीया को नापुरा होने वाली असीम क्षति होने का पूर्ण अंदेशा है। इस संदर्भ में न्यायालय का विनम्र मत इस प्रकार है कि चूंकि प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के विरुद्ध उपरोक्त विवेचना के क्रम में तय किया गया है। इस प्रकार ये दोनों बिन्दु भी अप्रार्थी के विरुद्ध एवं प्रार्थीया के पक्ष में तय किये जाते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति, प्रार्थीया पक्ष के एवं अप्रार्थी के विरुद्ध तय पाये गये हैं। जिस कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है तथा प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 साक्ष्य एकत्रित करने का प्रतीत होने के कारण खारिज योग्य पाया जाता है।

आदेश

फलतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला मूल वाद रोही ग्राम उन्टालड़ के खेत खसरा नम्बर 575/45 रकबा 12.6970 हैक्टेयर के मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे, प्रार्थीनी के कब्जा काशत में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करे, प्रार्थीनी को उसकी खरीद शुदा खातेदारी हिस्सा भूमि काशत करने से रोके नहीं तथा स्वयं काशत नहीं करे तथा प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सपठित धारा 151 सी.पी. सी. खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करें। पत्रावली प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ती फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16-10-25 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बीदसर (चूरु)